

दिल्ली विधान सभा
समाचार भाग-2

॥ विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी ॥

शुक्रवार, अप्रैल 8, 1994 / चैत्र 18, 1916 शक् ॥

संख्या -82

विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1994

"माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित प्रो० जगदीश मुखी, वित्त मंत्री के दिनांक: 8, अप्रैल, 1994 के पत्र सं० फा. 2/94/ए एफ एस/94-95/ वित्तबृंद की प्रति ॥

"वित्तीय वर्ष 1994-95 की सेवाओं के लिये राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से कुछ धनराशि की निकासी के प्रावधान के लिये प्रस्तावित विधेयक की विषय वस्तु की सूचना दिये जाने पर, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली ने राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली शासन अधिनियम, 1991 की धारा 22 एवं 27 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत विनियोग (सं० 2) विधेयक, 1994 को पूरः स्थापित करने और राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा उस पर विचार करने की सिफारिश की है।"

गी० एन० गुप्ता
सचिव

DELHI VIDHAN SABHA

BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)

Friday, April 8, 1994/Chaitra 18, 1916 (Saka)

No. 82

APPROPRIATION (NO.2) BILL, 1994

(Copy of letter No.F.2/94/AFS/94-95/Fin.(B) dated 8th April, 1994 from Prof. Jagdish Mukhi, Finance Minister, to the Hon'ble Speaker, Legislative Assembly, Delhi).

"The Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi, having been informed of the subject matter of the proposed Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services for the financial year 1994-95, has recommended under section 29 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 read with Sections 22 & 27 thereof, the introduction of the Appropriation (No.2) Bill, 1994 and the consideration of the Bill by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi."

P.N. GUPTA
SECRETARY